

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/278
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00246
CICOM/R/2018/00833

दिनांक: 02.11.2018

अपीलकर्ता : श्री एन. सैनी,
सी-12, सुरेन्द्र बिहार,
बाग मुगलिया, भोपाल,
मध्य प्रदेश- 462043.

निर्णय की तारीख : 02.11.2018

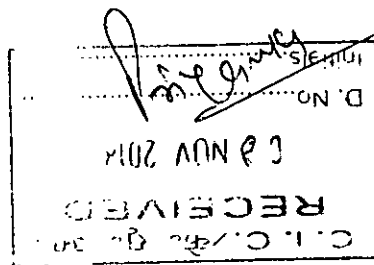
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	14.08.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.09.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	22.10.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	500/26.10.2018 (4601/26.10.2018)

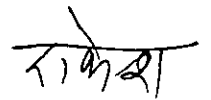
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.08.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/CCABH/A/2017/162283-BJ के अनुपालन में आयकर विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित जांच रिपोर्ट की प्रति की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा द्वितीय अपील सं. CIC/CCABH/A/2017/162283-BJ से संबंधित जांच रिपोर्ट की मांग की गई थी, जबकि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा द्वितीय अपील सं. CIC/CCABH/A/2017/162283-BJ से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर अपीलकर्ता की शिकायत को सही पाया गया, तदुसार श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि द्वितीय अपील सं. CIC/CCABH/A/2017/162283-BJ के अनुपालन से संबंधित जांच रिपोर्ट यदि संबंधित विभाग से प्राप्त हो गई हो तो इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों अंदर अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।





(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि : 06/11/18

1. श्री टी.बी.जे.एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।


06/11/18
DFO-1(CAS)